सचिव, आपदा प्रबन्धन व पुनर्वास/कार्यक्रम निदेशक, कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई, उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजक्ट, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या– 604/PIU/TA&CBDRM /UDRP-2015 दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 के द्वारा ग्राम स्तर तथा विद्यालय स्तर पर आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जन–जागरूकता अभियान तथा आपदा प्रबन्धन कार्य–योजनाऐं विकसित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश :–

1. समस्त जनपदों में ग्राम स्तर तथा विद्यालय स्तर पर आपदा प्रबन्धन हेतु पूर्व तैयारी व जन जागरूकता अभियान चलाया जाए जिस हेतु जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक तहसील स्तर पर स्थानीय गैर सरकारी संगठनों का चयन किया जायेगा।

2. ग्राम स्तर पर जन–जागरूकता कार्यक्रम 03 दिवसीय किया जाऐगा जिसमें Audio Visual के माध्यम से विभिन्न आपदाओं की जानकारी, खोज व बचाव तथा प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण तथा ग्राम आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना विकसित किये जाने का कार्य किया जाऐगा। विद्यालय स्तर पर 02 दिवसीय जन–जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें प्रथम दिवस आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी जानकारी, विद्यालय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के सम्बन्ध में Audio Visual माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी तथा द्वितीय दिवस विद्यालय स्तर पर Mock Drill का आयोजन किया जाऐगा।

3. जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा ग्राम स्तरीय व विद्यालय स्तरीय जन–जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु तहसील स्तर पर गैर सरकारी संगठनों का चयन किया जाऐगा जिसके माध्यम से 04 प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाऐगें जिनमें से 02 प्रशिक्षक ग्राम स्तरीय जन जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा 02 प्रशिक्षक विद्यालय स्तरीय जन जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु नियुक्ति किये जाऐगें।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम पश्चात ग्राम पंचायत 05 स्वयं सेवको (Volunteer) को नामित कर प्रशिक्षण टीम को उपलब्ध करायेगी जिनको 07 दिवसीय खोज–बचाव तथा प्राथमिक चिकित्सा के गहन प्रशिक्षण हेतु न्याय पंचायत स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र के मास्टर ट्रेनर के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाऐगा।

5. ग्राम स्तर पर किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में न्यूनतम 50 प्रतिभागियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

6. प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु लैपटॉप, प्रोजेक्टर, Public Address System आदि की व्यवस्था चयनित स्वयं सेवी संगठनों के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी।

7. जनपद स्तर पर किये जाने वाले समस्त प्रशिक्षण, जन जागरूकता व Mock Drill कार्यक्रम हेतु जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी नोडल अधिकारी होगे जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सुचारू व सफल संचालन करेंगें।

8. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्य की गुणवत्ता के दृष्टिगत 01 स्वयं सेवी संगठन एक ही तहसील में कार्य करने हेतु अधिकृत होगा। इस हेतु इच्छुक तहसील का नाम दिया जाना अनिवार्य होगा।

District Disaster Management Authority, Chamoli
(District Emergency Operation Center) (DEOC)
Phone: + 91 – 1372- 251437, 1077 (Toll free)
FAX: + 91 – 1372-251437 (Off)
Email Id: ddmachamoli1077@gmail.com

9. स्वयं सेवी संगठनों द्वारा अपने पास उपलब्ध 04 प्रशिक्षकों को जो आपदा प्रबन्धन, विद्यालय स्तरीय मॉकड्रिल, जन–जागरूकता, भूकम्प सुरक्षित निर्माण, प्राथमिक चिकित्सा आदि विषयों पर प्रशिक्षित हो को शैक्षिक एवं कार्य अनुभव के प्रमाण पत्रों सहित प्रस्तुतीकरण कराया जायेगा तथा संस्था के पास उपलब्ध प्रशिक्षक, जनजागरूकता हेतु आवश्यक उपकरण जैसे कम्प्यूटर, लैपटोप, ऑडियो विजुवल ऐड् आदि का विवरण भी दिया जायेगा।

10. ग्राम स्तर एवं विद्यालय स्तर पर एक तहसील में एक साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

11. ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण हेतु प्रति ग्राम पंचायत के लिए 03 दिवसीय कार्यक्रम हेतु ₹ 10,000.00 (दस हजार रू0 मात्र) तथा विद्यालय स्तर पर प्रति विद्यालय 02 दिवसीय कार्यक्रम हेतु ₹ 2,500.00 (दो हजार पॉच सौ रू0 मात्र) के आधार पर प्रदान किया जाऐगा।

12. ग्रामवार तथा विद्यालयवार प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्ययोजना की प्रति सम्बन्धित ग्राम एवं स्कूल तथा एक प्रति जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को आवश्यक रूप से उपलब्ध करानी होगी।

13. ग्रामवार/विद्यालयवार प्रशिक्षण कार्यक्रम की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फीडबैक एवं विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट संकलित कर 02 प्रतियों में प्रत्येक 10 दिवस की अवधि में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करानी होगी।

14. ऐसे स्वयं सेवी संगठनों को प्राथमिकता दी जाऐगी जिनको आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्राम स्तरीय कार्ययोजनाऐं एंव मॉक ड्रिल कराने का अनुभव हो।

15. उक्त प्रशिाक्षण कार्यक्रम शासन से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही संचालित किये जाऐगें।

16. रूचि की अभिव्यक्ति जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण चमोली के कार्यालय में दिनांक 28.01.2016 को 12.00 बजे दिन तक कार्य दिवस में जमा की जा सकती है। निर्धारित तिथि एंव समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाऐगा।

17. स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु गठित समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

उपरोक्त विषय पर संस्थाऐं अपनी रूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव एवं 04 प्रशिक्षकों एवं दस्तावेजों सहित विकास भवन सभागार, गोपेश्वर चमोली में दिनांक 28.01.2016 सांय 3.00 बजे से चयन एवं समन्वयन समिति के सम्मुख प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित रहेगें।

अध्यक्ष/जिलाधिकारी
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
चमोली।

District Disaster Management Authority, Chamoli
(District Emergency Operation Center) (DEOC)
Phone: + 91 – 1372- 251437, 1077 (Toll free)
FAX: + 91 – 1372-251437 (Off)
Email Id: ddmachamoli1077@gmail.com